



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खंड (i)
PART II—Section 3 Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 435]
No. 435]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 23, 1996/पौष 2, 1918
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 23, 1996/PAUSA 2, 1918

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1996

सा० का० नि० 581 (अ).—प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियम, 1996 है।
- (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 में (जिन्हें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) :—

- (क) नियम 3 में, शब्द "केंद्रीय सरकार" के स्थान पर शब्द "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" रखे जाएं;
- (ख) नियम 5क में, शब्द "केंद्रीय सरकार" के स्थान पर शब्द "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" रखे जाएं;
- (ग) नियम 7 में, उप-नियम (1) में, शब्द "केंद्रीय सरकार" के स्थान पर शब्द "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" रखे जाएं;

(घ) नियम 8 में,

(i) उप-नियम (1) में,—

(क) खण्ड (ख) परन्तुक में, शब्द "केंद्रीय सरकार" के स्थान पर शब्द "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" रखे जाएं;

(ख) खण्ड (च) में, परन्तुक में, शब्द "केंद्रीय सरकार" के स्थान पर शब्द "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" रखे जाएं;

(ग) खण्ड (च) में, परन्तुक में, शब्द "सरकार" के स्थान पर शब्द "बोर्ड" रखा जाए;

(ii) उप-नियम (4) में, खण्ड (iii) के बाद, परन्तुक में, शब्द "केंद्रीय सरकार" के स्थान पर शब्द "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" रखे जाएं;

(ङ) नियम 11 में, जहां भी शब्द "केंद्रीय सरकार" का प्रयोग हुआ हो, उसके स्थान पर शब्द "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" रखे जाएं;

(च) नियम 12 में, शब्द "केंद्रीय सरकार" के स्थान पर शब्द "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" रखे जाएं;

(छ) नियम 16 में, जहां भी शब्द "केंद्रीय सरकार" का प्रयोग हुआ हो, उसके स्थान पर शब्द "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" रखे जाएं;

(ज) नियम 17 में, जहां भी शब्द "केंद्रीय सरकार" का प्रयोग हुआ हो, उसके स्थान पर शब्द "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" रखे जाएं;

(श) नियम 17क में, दोनों स्थानों पर प्रयुक्त शब्द "केंद्रीय सरकार" के स्थान पर शब्द "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" रखे जाएं;

(ज) नियम 19 में,

(i) उप-नियम (1) में, खण्ड (ड) में, उप-खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड रखा जाए, अर्थात् :—

"(i) पायती कार्ड अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पेशकशी दस्तावेज दर्ज करने की रसीद";

(ii) उप-नियम (2) में, खण्ड (ख) के बाद, परन्तुक (क) में शब्द "केंद्रीय सरकार" के स्थान पर शब्द "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" रखे जाएं;

(ख) शब्द "सरकार" के स्थान पर शब्द "बोर्ड" रखा जाए;

(iii) उप-नियम (5) में, दूसरे परन्तुक में, जहां भी शब्द "केंद्रीय सरकार" का प्रयोग हुआ हो, उसके स्थान पर शब्द "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" रखे जाएं;

(iv) उप-नियम (6) में, शब्द "केंद्रीय सरकार" के स्थान पर शब्द "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" रखे जाएं;

(v) उप-नियम (6क) में परन्तुक में

(क) शब्द "केंद्रीय सरकार" के स्थान पर शब्द "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" रखे जाएं;

(ख) शब्द "सरकार" के स्थान पर शब्द "बोर्ड" रखा जाए;

(vi) उप-नियम (7) में, शब्द "केंद्रीय सरकार" के स्थान पर शब्द "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" रखे जाएं;

(ड) उक्त नियम के प्रपत्र क में, दोनों स्थानों पर प्रयुक्त शब्द "केंद्रीय सरकार" के स्थान पर शब्द "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" रखे जाएं;

(ड) उक्त नियम के प्रपत्र ख में

(i) प्रारंभिक भाग में शब्द "भारत सरकार, वित्त मंत्रालय" के स्थान पर शब्द "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" रखे जाएं;

(ii) शब्द "केंद्रीय सरकार" के स्थान पर शब्द "भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड" रखे जाएं;

(iii) शब्द "मंत्रालय की मोहर" के स्थान पर शब्द "बोर्ड की मोहर" रखे जाएं;

(ड) उक्त नियम के प्रपत्र (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र रखा जाए, अर्थात् :—

प्रपत्र—ग

(देखें नियम 13)

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा मान्यता वापस लेने के प्रति कारण बताओ सूचना

मुम्बई,

प्रति

(एक्सचेंज का नाम तथा पता)

आपको एतद्वाराके कार्यालय में
(अधिकारी का पदनाम)

.....को अथवा उससे पहले कारण बताने के लिए बुलाया जाता है कि वित्त मंत्रालय/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिसूचना सं० दि० तथा प्रमाण-पत्र सं० दि० के तहत आपको प्रदत्त मान्यता इस सूचना के अनुबंध में दिए गए कारणों से वापस क्यों न ले ली जाए।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के आदेश से उसके नाम में।

[मि० सं० 1/57/एस.ई. 93]

डा० यू० शरत चन्द्रन, संयुक्त सचिव

भारतीय प्रतिभूति एवं
विनिमय बोर्ड की
मोहर

टिप्पणी :—प्रमुख अधिसूचना दिनांक 21-2-1957 के भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, पृष्ठ 619 में प्रकाशित एस. आर. ओ. 576 दिनांक 21-2-1957 के अन्तर्गत प्रकाशित की गई थी और परवर्ती संशोधन अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1096 दिनांक 14-7-1967 भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) दि० 22-7-1967 में प्रकाशित की गई थी। अधिसूचना सं० सा० का० नि० 685 दिनांक 3-6-1972 भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) दि० 10-6-1972, पृष्ठ 1556 में प्रकाशित की गई थी। अधिसूचना सं० सा० का० नि० 666(अ) दिनांक 20-7-1987, सं० सा० का० नि० 870(अ) दिनांक 13-11-1992। अधिसूचना सं० सा० का० नि० 617 (अ) दिनांक 20-9-1993 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) दि० 20-9-1993 में प्रकाशित की गई थी। अधिसूचना सं०

सां कां नि० 749 (अ) दिनांक 12-10-1994 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी। अधिसूचना सं० सां कां नि० 790(अ) दिनांक 7-11-1994, अधिसूचना सं० सां कां नि० 121(अ) दिनांक 9-3-1995, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), दिनांक 9-3-1995 में प्रकाशित की गई थी। अधिसूचना सं० कां नि० 291(अ) दिनांक 27-3-1995 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i), दिनांक 27-3-1995 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 1996

G.S.R. 581(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, namely :

1. (1) These rules may be called the Securities Contracts (Regulation) Amendment Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 (hereinafter referred to as the said rules),—

(a) in rule 3, for the words, "the Central Government", the words "the Securities and Exchange Board of India" shall be substituted;

(b) in rule 5A, for the words "the Central Government", the words "the Securities and Exchange Board of India" shall be substituted;

(c) in rule 7, in sub-rule (1), for the words "the Central Government", the words "the Securities and Exchange Board of India" shall be substituted;

(d) in rule 8,

(i) in sub-rule (1),—

(a) in clause (b), in the proviso, for the words "the Central Government", the words "the Securities and Exchange Board of India" shall be substituted;

(b) in clause (f), in the proviso, for the words, "the Central Government", the words, "the Securities and Exchange Board of India" shall be substituted;

(c) in clause (f), in the Proviso, for the word "government" the word "Board" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (4), after clause (iii), in the proviso, for the words "the Central Government", the words "the Securities and Exchange Board of India" shall be substituted;

(e) in rule 11, for the words "the Central Government", wherever they occur the words "the Securities and Exchange Board of India" shall be substituted;

(f) in rule 12, for the words "the Central Government", the words "the Securities and Exchange Board of India" shall be substituted;

(g) in rule 16, for the words "the Central Government", wherever they occur, the words "the Securities and Exchange Board of India" shall be substituted;

(h) in rule 17, for the words "the Central Government", wherever they occur, the words "the Securities and Exchange Board of India" shall be substituted;

(i) in rule 17A, for the words "the Central Government" occurring at both the places, the words "the Securities and Exchange Board of India" shall be substituted;

(j) in rule 19,—

(i) in sub-rule (1), in clause (m), for sub-clause (1), the following sub clause shall be substituted, namely :—

"(i) acknowledgement card or the receipt of filing offer document with the Securities and Exchange Board of India";

(ii) in sub-rule (2), after clause (b), in proviso—

(A) for the words, "the Central Government", the words "the Securities and Exchange Board of India" shall be substituted;

(B) for the word "Government", the word "Board" shall be substituted;

(iii) in sub-rule (5), in the second proviso, for the words "the Central Government", wherever they occur, the words "the Securities and Exchange Board of India" shall be substituted;

(iv) in sub-rule (6), for the words "the Central Government", the words "the Securities and Exchange Board of India" shall be substituted;

(v) in sub-rule (6A), in the proviso—

(A) for the words, "the Central Government", the words "the Securities and Exchange Board of India" shall be substituted;

(B) for the word "Government", the word "Board" shall be substituted;

(vi) in sub-rule (7), for the words, "the Central Government", the words "the Securities and Exchange Board of India" shall be substituted;

(k) in Form A to the said rule, for the words "the Central Government", occurring at both the places, the words "the Securities and Exchange Board of India" shall be substituted;

(l) in from B to the said rule,—

(i) in the opening portion, for the words "Government of India, Ministry of Finance" the words "the Securities and Exchange Board of India" shall be substituted;

(ii) for the words "the Central Government", the words "the Securities and Exchange Board of India" shall be substituted;

(iii) for the words "Seal of Ministry", the words "Seal of Board" shall be substituted;

(iv) for Form C to the said rules, the following Form shall be substituted, Namely :—

FROM—C

(See rule 13)

Notice to show cause against the withdrawal of recognition

of the Securities and Exchange Board of India

Mumbai, the _____

_____ (name and address of the exchange)

You are hereby called upon to show cause on or before _____ at the office of _____

(designation of the Officer)

by the recognition granted to you under the Ministry of Finance/the Securities and Exchange Board of India Notifi-

cation No. _____ dated _____ and Certificate No. _____ dated _____ should not be withdrawn for the reasons given in the Annexure to this Notice.

By order and in the name of the Securities and Exchange Board of India.

Seal of the Securities and Exchange Board of India

[F. No. 1/57/SE/93]

DR. U. SARAT CHANDRAN, Jt. Secy.

NOTE:—The principal Notification was issued under No. SRO 576 dated 21-2-1957 published in the Gazette of India II, section 3, page 619 dated 21-2-1957 and subsequent amendment Notification No. GSR 1096 dated 14-7-1967 was published in the Gazette of India, Part II section 3, sub-section (i) dated 22-7-1967, Notification No. GSR 685 dated 3-6-1972 was published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) dated 10-6-1972, page 1556, Notification No. GSR 666(E) dated 20-7-1987, No. GSR 870(E) dated 13-11-1992, Notification No. GSR 617(E) dated 20-9-1993 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) dated 20-9-1993, No. GSR 749(E) dated 12-12-1994 were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, section 3, sub-section (i), Notification No. GSR 790(E) 7-11-1994, Notification GSR No. 121(E) dated 9-3-1995 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) dated 9-3-1995 and Notification No. GSR 291(E) dated 27-3-1995 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) dated 27-3-1995.